


राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2018/ 7956-
7968

जयपुर, दिनांक 11.5.18


आदेश

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 8.4.2015 द्वारा जारी आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) मानदण्डों के बिन्दु संख्या 6 (ii) में प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में खरीफ सम्वर्त 2074 में सूखाग्रस्त घोषित जिलों में पशुशिविर संचालन की अवधि 90 दिन से अधिक के लिए बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर., भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
9. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर।
10. जिला कलक्टर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सवाईमाधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि 30 जून, 2018 के पश्चात् राहत सहायता की कोई स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी।
11. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
12. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
13. प्रोग्रामर, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।


शासन उप सचिव